

अपील में डिक्री
(आदेश 41 रूल 35, जाप्ता दीवानी)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
बइजलास पंकज कुमार ओझा, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 17/29

1. मांगीलाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।
2. बजरंग लाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।
3. छीतर लाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।
4. छोटी बाई पुत्री श्री रघुनाथ जी जातियान मीना निवासीगण गणेश गंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।

—अपीलाथी

बनाम

1. प्रहलाद कुमार आत्मज प्रभूदयाल जाति खटीक निवासी इटावा जिला कोटा ।
2. गोबरी लाल आत्मज ग्यारस्या ।
3. देवीशंकर आत्मज श्री ग्यारस्या ।
4. कस्तूरी बाई बेवा श्री ग्यारस्या जाति बैरवा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।

—प्रत्यर्थी

बनाराजगी आदेश निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2016 अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा ।

अन्तर्गत वाद संख्या: 47/दावा/2008

1. मांगीलाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।
2. बजरंग लाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।
3. छीतर लाल आत्मज श्री रघुनाथ जी ।



खटी बाई पुत्री श्री रघुनाथ जी जातियान मीना निवासीगण गणेश गंज तहसील पीपल्दा
जिला कोटा ।

—वादी

बनाम

1. प्रहलाद कुमार आत्मज प्रभूदयाल जाति खटीक निवासी इटावा जिला कोटा ।
2. गोबरी लाल आत्मज ग्यारस्या ।
3. देवीशंकर आत्मज श्री ग्यारस्या ।
4. कस्तूरी बाई बेवा श्री ग्यारस्या जाति बैरवा निवासीगण गणेशगंज तहसील पीपल्दा जिला कोटा ।
5. राजस्थान सरकार जरिये राजकीय अभिभाषक, कोटा ।


—प्रतिवादी

अपील का ज्ञापन

1. उक्त अपीलार्थी उपर्युक्त वाद में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा जिला कोटा के निर्णय एवं डिक्री दिनांक 09.12.2016 की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में निम्नलिखित कारणों से करता है, अर्थात्... कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलान्त स्वीकार फरमाई जावे ।
2. यह अपील तारीख 09.02.2018 को बहाजरी अपीलार्थी की ओर से अभिभाषक श्री रूपेश कुमार श्रृंगी एवं रेस्पोंडेन्ट की ओर से अभिभाषक श्री तेजमल जैन के उपस्थित आने पर यह आदेश दिया कि अपील अपीलान्त खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं 09.12.2016 बहाल रखा जाता है ।
3. इस अपील के खर्चे एवं मूल वाद के खर्चे पक्षकारान द्वारा स्वयं वहन किये जाने हैं ।

यह डिक्री आज तारीख 09.02.2018 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगा कर दी गई ।

मुहर


(पंकज कुमार ओझा)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा